

13/25

प्राणी व अप्राणी संख्या 2 के अधिवक्ता
उपाध्यक्ष। अधिवक्ता प्राणी द्वारा
विद्वां, प्रायना-पत्र पेश कर हस्तगत
अपील आगे नहीं चलाया जाते है,
लिटिग्या प्राणी का यह सिगारानी प्रायना-
पत्र जरिबे विद्वां खारिज की जाती है।
पत्रावली केसल शुमार होकर नम्बर से
कम हो एवं दाखिल दफतर हो।

जिला कलक्टर
बाडमेर

